[2019] 5 एस. सी. आर. 417

रोहितभाई जीवनलाल पटेल

वी.

गुजरात राज्य और ए. एन. आर.

(2019 की आपराधिक अपील No.508)

15 मार्च, 2019

[अभय मनोहर सेप्रे और

दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-ss. 118 , 138 और 139-अनुमान यू/एस. एस. 118 और 1397 रुपये के चेक। 3 प्रत्येक लाख,

अभियुक्त द्वारा तैयार किया गया-शिकायतकर्ता के पक्ष में अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं। 2 - अपमानित-ट्रायल कोर्ट ने 7 को खारिज कर दिया

प्रतिवादी सं. द्वारा दायर शिकायत मामले। 2- उच्च न्यायालय ने अलग रखा

उक्त आदेश और अपीलार्थी को अपराध के लिए दोषी ठहराया s.138 अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः अपीलार्थी विचाराधीन चेक पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं कर सका-उक्त चेक उनकी वैधता की अवधि के भीतर संबंधित बैंक को प्रस्तुत किए गए थे और अपर्याप्त धन या खाता बंद होने के लिए भुगतान किए बिना वापस कर दिए गए थे-एस के सभी बुनियादी तत्व। 138 एसएस के रूप में भी। 118 और 139 रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट थे-ट्रायल कोर्ट ने इन तथ्यों पर ध्यान दिया और आवश्यक अनुमान लगाया था-इसलिए, यह मान लेना आवश्यक था कि विचाराधीन चेक के लिए तैयार किए गए थे

प्रतिफल और चेक धारक अर्थात प्रत्यर्थी

नहीं। 2 मौजूदा ऋण के निर्वहन में वही प्राप्त हुआ-इसलिए, इस तरह की धारणा का खंडन करने की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर स्थानांतरित कर दी गई, हालांकि, कथित रूप से यू / s.139, ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी नं. 1 की ओर से सबूत की कमी पर सवाल उठाया। 2 अपीलार्थी को ऋण अग्रिम करने के लिए धन के स्रोत और संबंधित गवाहों की जांच की आवश्यकता के संबंध में जिन्होंने कथित रूप से उसे ऋण अग्रिम करने के लिए धन दिया था।

अपीलार्थी-विचारण न्यायालय का यह दृष्टिकोण विधि में अनुमान के सिद्धांतों से भिन्न था-अपीलार्थी ऐसी सामग्री को अभिलेख पर लाने के अपने बोझ का निर्वहन करने में सक्षम नहीं था जो उसके पक्ष में संभावनाओं की प्रधानता को झुका सकती थी-विचारण न्यायालय के निर्णय को विकृति और दृष्टिकोण की मौलिक त्रुटि का सामना करना पड़ा-उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले को उलटने में न्यायसंगत ठहराया क्योंकि मौद्रिक शर्तों में हस्तक्षेप नहीं किया गया था

लेकिन, कारावास की सजा में संशोधन किया गया-7 मामलों में से प्रत्येक में, अपीलार्थी को जुर्माना देना होगा, प्रत्येक चेक की राशि को दोगुना करना होगा (यानी रु। 6 लाख)-जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में, अपीलार्थी को जुर्माने की राशि की वसूली पर एक वर्ष के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा। 2 रुपये का मुआवजा दिया जाए। 5.5 प्रत्येक मामले में लाख-चूक के लिए कारावास की स्थिति में जुर्माने के भुगतान में, सभी 7 मामलों में सजाएं एक साथ चलेंगी।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अदालत मामले के संभावित विचारों में से एक है और जब तक कि अपीलीय अदालत एक स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है कि निचली अदालत का निर्णय विकृत है, यानी, रिकॉर्ड पर साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है या जो सामान्य या उचित माना जाता है, उसके विपरीत नहीं है; या कानून में पूरी तरह से अस्थिर है। इस तरह के सामान्य प्रतिबंध अनिवार्य रूप से अपीलीय न्यायालय को यह याद दिलाने के लिए हैं कि एक आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह उचित संदेह से परे दोषी साबित न हो जाए और बरी होने का निर्णय इस तरह के प्रतिबंधों को और मजबूत करता है। अभियुक्त के पक्ष में अनुमान। हालांकि, इस तरह के प्रतिबंधों को अपीलीय न्यायालय के समक्ष विशेष मामले और उसमें जांच की प्रकृति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। समान कठोरता के साथ एक ही नियम परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध से संबंधित मामले में लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जहां यह अनुमान लगाया जाता है कि धारक को पूरी तरह या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए चेक प्राप्त हो गया है।

कोई ऋण या दायित्व। बेशक, अभियुक्त को इस तरह की धारणा का खंडन करने के लिए प्रासंगिक सामग्री को रिकॉर्ड पर लाने का अधिकार है और दिखाएँ कि संभावनाओं की प्रधानता उसके पक्ष में है

1.2 अपीलार्थी उन चेकों पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं कर सका जो इसके पक्ष में तैयार किए गए थे। रुपये की राशि के लिए आरोपी द्वारा बनाए गए बैंक खाते पर शिकायतकर्ता। 3 एक-एक लाख। उक्त चेक रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम को प्रस्तुत किए गए थे।

रिकॉर्ड के चेहरे पर। निचली अदालत ने भी इन तथ्यों पर सचेत रूप से ध्यान दिया था और अपेक्षित अनुमान लगाया था। इसलिए, यह मान लेना आवश्यक है कि चेक में प्रश्न विचार के लिए तैयार किया गया था और धारक

चेक अर्थात, शिकायतकर्ता को मौजूदा ऋण के निर्वहन में वही प्राप्त हुआ। इसलिए, अपीलार्थी पर एक संभावित बचाव स्थापित करने की जिम्मेदारी है ताकि इस तरह की धारणा का खंडन किया जा सके। संभाव्यताओं की प्रधानता से संबंधित पहलुओं पर, अभियुक्त को ऐसे तथ्यों और ऐसी परिस्थितियों को अभिलेख पर लाना पड़ता है जो न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि या तो विचार मौजूद नहीं था या इसका अस्तित्व इतना संभावित था कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति, मामले की परिस्थितियों में, इस याचिका पर कार्य करेगा कि विचार मौजूद नहीं था। हालांकि वहाँ हो सकता है

1.3 वर्तमान मामले में, एन. आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत कथित रूप से अनुमान लगाने के बाद भी, निचली अदालत ने अभियुक्त को अग्रिम ऋण देने के लिए धन के स्रोत के संबंध में शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य की कमी और संबंधित गवाहों से पूछताछ की कमी के बारे में पूछताछ करने के लिए आगे बढ़े, जिन्होंने कथित रूप से उसे अभियुक्त को आगे बढ़ाने के लिए धन दिया था। विचारण न्यायालय का यह दृष्टिकोण विधि में अनुमान के सिद्धांतों से भिन्न था। इस तरह की धारणा के बाद, जिम्मेदारी आरोपी पर स्थानांतरित हो गई और जब तक कि आरोपी ने ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों को रिकॉर्ड पर लाकर जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया था जो उसके पक्ष में झुकने की संभावनाओं की प्रधानता को दर्शाते हैं, शिकायतकर्ता के मामले पर कोई संदेह नहीं उठाया जा सकता था।

अपीलार्थी को ऋण अग्रिम करने के लिए धन के स्रोत के संबंध में साक्ष्य की कमी के लिए। विचार के लिए प्रासंगिक पहलू यह था कि क्या अपीलार्थी ने ऐसे तथ्यों/सामग्री/परिस्थितियों को दर्ज किया है जो उचित रूप से संभावित बचाव के हो सकते हैं। अपना बोझ उठाने के लिए, आरोपी [2019] 5 एस. सी. आर.

बचाव पक्ष को यह बताते हुए कि वास्तव में, उसने कथित श्री 'जे' के साथ मौद्रिक लेनदेन किया था, न कि शिकायतकर्ता के साथ। जिरह में कुछ सुझाव देने के अलावा, अपीलार्थी ने मुख्य रूप से यह संतुष्ट करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि श्री 'जे' के साथ उसका कुछ मौद्रिक लेन-देन हुआ था। श्री 'जे' की स्टाम्प पेपर पर लिखित विवरण और लेन-देन की तारीख और समय के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर प्रतिपरीक्षा की गई। बयान में कहा

'जे' का मामला अपीलार्थी के पक्ष में कोई मामला नहीं बनाता है। [पैरा 17,18,18.3 और 18.4] [437-डी-एच; 438-जी; 439-जी-एच] 1.4 अपीलार्थी उक्त लेखन पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं कर सका, लेकिन यह सुझाव देने का प्रयास किया कि उसके हस्ताक्षर थे

खाली स्टाम्प पेपर पर श्री 'जे' के साथ उपलब्ध है। यह सुझाव बहुत दूर है और स्वीकार करने के लिए बहुत अनिश्चित है। अपीलार्थी द्वारा एक खाली स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने का कोई ठोस कारण उपलब्ध नहीं है। यह है।

यह भी निर्विवाद है कि चेक संख्या, बैंक का नाम और खाता संख्या जैसे सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ उसमें उल्लिखित चेक एक ही चेक के हैं जो इन शिकायत मामलों की विषय वस्तु हैं। उक्त दस्तावेज़ पर तारीख 21.03.2007 है और चेक पोस्ट-डेट किए गए थे, जो 01.04.2008 से शुरू होकर 01.12.2008 पर समाप्त होते हैं। इस लेखन को विचार से हटाने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 18.6] [440-ई-एफ] 1.5 वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से एक ऐसा मामला था जिसमें निचली अदालत के फैसले में विकृति और मौलिक त्रुटि थी

और उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णय को उलटने में उचित ठहराया गया था। निचली अदालत की यह टिप्पणी कि ऋण को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्यर्थी के पास धन का स्रोत दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था, या कि प्रत्यर्थी ने कच्चे नोटों की प्राप्ति के रूप में लेनदेन को दर्ज नहीं किया था, या कि शिकायतकर्ता और उसके गवाह के बयान में विसंगतियां थीं, या कि शिकायत का गवाह तथ्यों आदि के बारे में अधिक जानता था। प्रासंगिक है यदि शिकायत पर अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने की जिम्मेदारी के संदर्भ में मामले की जांच की जानी थी। ये विचार और टिप्पणियां एन. आई. अधिनियम की धारा 118 और 139 के आधार पर शिकायतकर्ता के पक्ष में मौजूद धारणा के अनुरूप नहीं हैं।

इस तरह के रोहितभाई जीवनलाल पटेल का परिणाम v. गुजरात राज्य

अनुमान यह है कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का अस्तित्व शिकायतकर्ता के पक्ष में माना जाना चाहिए। जब ऐसा अनुमान लगाया जाता है, तो प्राप्तियों या खातों के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य की कमी या धन के स्रोत के संबंध में साक्ष्य की कमी से संबंधित कारक यह जांच करते समय प्रासंगिक विचार के लिए नहीं थे कि क्या आरोपी अनुमान का खंडन करने में सक्षम रहा है या नहीं। शिकायतकर्ता और गवाह के बयान में किसी भी भिन्नता के संबंध में अन्य टिप्पणियां; या तारीखों और चेक के अन्य विवरणों के बारे में जानकारी की कमी; या बारिश में पहले के चेक को धोने के संबंध में, हालांकि शिकायतकर्ता का कार्यालय 8 वीं मंजिल पर था, अपीलार्थी के संभावित बचाव पर विचार करने के लिए अप्रासंगिक कारकों में से थे। इसी तरह, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ऋण राशि रु। 22,50,000 / - और सात चेक

गलत धारणा है कि केवल इनकार या केवल निर्माण द्वारा संदेह है कि अपीलार्थी ने एन. आई. अधिनियम की धारा 139 द्वारा परिकल्पित अनुमान का सफलतापूर्वक खंडन किया था। की योजना में

एन. आई. अधिनियम, केवल संदेह पैदा करना पर्याप्त नहीं है। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के विचारों को ईमानदारी से और सावधानीपूर्वक ध्यान में रखा है और समग्र रूप से अभिलेख पर साक्ष्य की जांच करने के बाद पाया है कि परीक्षण न्यायालय के निष्कर्ष विकृति से दूषित हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप

यह अपरिहार्य था; बल्कि मामले के न्यायसंगत और उचित निर्णय के लिए किया जाना था। [पारस 19-21] [441-D-H; 442-A-D, F]

1.6 एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपीलार्थी को अपराध के लिए दोषी ठहराने वाले उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है। इस मामले की परिस्थितियों और अपराध की प्रकृति की समग्रता में, जो विनियामक प्रकृति का है, मौद्रिक शर्तों के संबंध में सजा में कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन फिर,

कारावास में संशोधन किया जाना चाहिए। आर/आपराधिक अपील सं. 1187/2017 [2019] 5 एस. सी. आर. में दिनांकित सामान्य निर्णय और आदेश।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर/आपराधिक अपील संख्या से संबंधित। 1191/2017 अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा एन. आई. अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी को 7 रुपये की राशि में 7 चेकों के अपमान के लिए दोषी ठहराए जाने के संबंध में बनाए रखा गया है। 3 शिकायतकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में उसके द्वारा निकाले गए प्रत्येक लाख; हालाँकि, सजा को इस तरह से संशोधित किया गया है कि इन 7 मामलों में से प्रत्येक में, अपीलार्थी प्रत्येक चेक की राशि के दोगुने की सीमा तक (यानी रु। 6 प्रत्येक मामले में 2 लाख रुपये) आज से 2 महीने के भीतर इस शर्त के साथ कि जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में, अपीलार्थी को एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा। जुर्माने की राशि की वसूली पर, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। 5.5 प्रत्येक मामले में लाखों। जुर्माने के भुगतान में चूक के लिए कारावास की स्थिति में, सभी 7 मामलों में सजाएं एक साथ चलेंगी। [पैरा 22,23.1 और 24] [442-जी; 443-ए-बी, डी-जी]

रंगप्पा बनाम। श्री मोहन (2010) 11 एससीसी 441: [2010] 6

एस. सी. आर. 507-निर्भर।

अरुलवेलु और अन्र। वी. जनता द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राज्य

अभियोजक और एन. आर. (2009) 10 एससीसी 206: [2009] 14 एससीआर

1081 ; एम. एस. नारायण मेनन उर्फ मणि बनाम की स्थिति

केरल और अन्र। (2006) 6 एससीसी 39: [2006] 3 पूरक। एस. सी. आर. 124; कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम शर्मा कार्पेट (2009) 2

एससीसी 519 [2008] 17 एससीआर 572-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 14 एससीआर 1081

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[2006] 3 पूरक। एससीआर 124

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[2008] 17 एससीआर 572

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[2010] 6 एससीआर 507

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2019 का No.508।

उच्च न्यायालय के 08.01.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की आपराधिक अपील सं. 1187 के साथ 2017 की आपराधिक अपील सं. 1191 से 2017 की 1196 रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम.

गुजरात राज्य

हुज़ेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रद्युम्न गोहिल, श्रीमती तरुणा सिंह गोहिल, हिमांशु चौबे, सुश्री तन्वी भटनागर, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अभिराज आर. त्रिवेदी, शशांक बाजपेयी, सुश्री शकूर सुधा शुक्ला, सुश्री ऋचा पांडे, अमित दुबे, प्रकाश कुमार सिंह, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल वाही, सुश्री पूजा सिंह, सुश्री पारुल लूथरा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील आर/आपराधिक अपील संख्या 1187/2017 में दिनांकित सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

आर/आपराधिक अपील सं। 1191/2017 1196/2017 जिसके तहत, अहमदाबाद में गुजरात के उच्च न्यायालय ने संबंधित निर्णय को उलट दिया है और 8 वें अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वडोदरा द्वारा 7 आपराधिक मामलों में पारित आदेश 1 परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध से संबंधित

रुपये की राशि में 7 चेकों के अपमान के लिए लिखत अधिनियम, 1881 ('एन. आई. अधिनियम')। 3 प्रत्येक को एक लाख रुपये, जैसा कि कहा जाता है कि अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निकाले गए थे। दिनांक 1 के विवादित निर्णय और आदेश में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को बरी करने के फैसले को अस्वीकार कर दिया है और उसे एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी ठहराते हुए, उसे 1 वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

चेक की राशि के दोगुने की सीमा (यानी रु। 6 लाख) प्रत्येक मामले में 1 वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त कारावास की डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ; और, जुर्माने के रूप में देय राशि में से, शिकायतकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। 5.5 . प्रत्येक मामले में लाखों।

इस प्रकार हैः उसका कार्यालय अलकापुरी, वडोदरा के विंडोर प्लाजा में था और वह उसी इलाके के नेशनल प्लाजा में अपने दोस्त श्री जगदीशभाई की दुकान पर जा रहा था; खाद्य मसालों के व्यापारी, अभियुक्त-अपीलार्थी की दुकान श्री जगदीशभाई की दुकान के पास थी और समय के साथ, आरोपी, शिकायतकर्ता और उक्त श्री जगदीशभाई। ' नं. 44345/2009 , 46499/2008 , 46254/2008 , 48420/2008 , 40321/2008 , 48631/2008 और 46503/2008 क्रमशः।

वे अच्छे दोस्त बन गए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस तरह की दोस्ती विकसित करने के बाद आरोपी ने उससे रुपये की मांग की। 22,50,000 / - उसकी तत्काल आवश्यकता के लिए ऋण के रूप में; और उसने (शिकायतकर्ता) अभियुक्त को टुकड़ों में धन एकत्र करके अल्पावधि के लिए ऐसा ऋण दिया।

अपने व्यापार समूह से। शिकायतकर्ता के अनुसार,

पुनः भुगतान की मांग करते हुए, आरोपी ने उसे कॉर्पोरेशन बैंक, अलकापुरी शाखा, वडोदरा में अलग-अलग तिथियों के चेक दिए और एक स्टांप पेपर पर पुनः भुगतान के लिए स्वीकृति भी दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी द्वारा जारी किए गए चेक, संग्रह के लिए बैंक को प्रस्तुत किए जाने पर, या तो इस कारण से कि "प्रारंभिक शेष राशि अपर्याप्त थी" या इस कारण से कि "खाता बंद था", बिना भुगतान के वापस कर दिए गए थे। यह आरोप लगाते हुए कि आरोपी का इरादा विश्वासघात और धोखाधड़ी का था, शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने चेक का अनादर करने के बाद आरोपी को नोटिस दिए लेकिन आवश्यक भुगतान प्राप्त नहीं किया। यह देखा गया है कि कुछ मामलों में, अभियुक्त-अपीलार्थी ने कथित रूप से लेन-देन से इनकार करते हुए अपना जवाब भेजा था।

4. उपरोक्त आरोपों और दावों के साथ, शिकायतकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 ने उपरोक्त 7 शिकायत मामले दर्ज किए।

अभियुक्त-जून से नवंबर, 2008 के महीनों में अपीलार्थी। मुकदमे में, शिकायतकर्ता ने खुद को पीडब्लू-1 और उक्त श्री जगदीशभाई को पीडब्लू-2 बताया। शिकायतकर्ता ने संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जिनमें प्रश्नगत चेक; बैंक द्वारा ज्ञापन और सूचना पत्र लौटाना; मांग नोटिस; अपीलार्थी द्वारा जहां भी भेजे गए जवाब; और याचिकाकर्ता द्वारा स्टांप पेपर पर लिखित पावती शामिल हैं।

अभियुक्त। अभियुक्त से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई, जिसमें उसने दावा किया कि शिकायतकर्ता के साथ उसका कोई धन लेनदेन नहीं था और उसने न तो कोई चेक जारी किया था और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में किसी कानूनी ऋण के लिए कोई नोट लिखा था। द.

हालाँकि, अभियुक्त-अपीलार्थी ने जोर देकर कहा कि कई साल पहले, उसने उक्त श्री जगदीशभाई के साथ कुछ लेन-देन किया था और श्री जगदीशभाई के पास पड़े चेक और खाली स्टाम्प पेपर का धोखाधड़ी से दुरुपयोग किया गया है ताकि उससे अवैध रूप से धन की वसूली की जा सके। अभियुक्त ने

हालाँकि, अपीलार्थी ने कोई सबूत नहीं दिया।

5. पक्षकारों को सुनने के बाद, निचली अदालत ने इन 7 मामलों में से प्रत्येक में निर्धारण के लिए समान बिंदु तैयार किए जिन पर ध्यान दिया जा सकता है

जैसा कि 2 के तहतः

2 यह निष्कर्ष 2008 के आपराधिक मामला संख्या 46499 में निचली अदालत के फैसले से लिया गया है।

रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम। गुजरात राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

" 1. क्या शिकायतकर्ता यह साबित करता है कि अभियुक्त ने रुपये का चेक संख्या 763346 जारी किया है और उसे सौंप दिया है। 3 , 00,000 / - उसके द्वारा रखे गए खाते से कानूनी देय राशि की ओर, और उक्त चेक प्रस्तुत करने पर

भुनाने के लिए शिकायतकर्ता का बैंक, वही था

बैंक के समर्थन के साथ बिना भुगतान किए वापस लौट आए "आज का

प्रारंभिक शेष राशि अपर्याप्त है और उसके बाद

शिकायतकर्ता ने आरोपी को मांग नोटिस दिया है और आरोपी को उक्त नोटिस दिया गया है, हालांकि,

धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध परक्राम्य लिखत अधिनियम?

2. कौन सा आदेश? "

6. अभिलेख की जांच करने के बाद, निचली अदालत ने पाया कि आरोपी ने चेक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए थे और रंगप्पा बनाम के मामले में इस अदालत के फैसले के संदर्भ में। श्री मोहनः (2010) 11 एस. सी. सी. 441 ने एन. आई. अधिनियम की धारा 139 द्वारा परिकल्पित अनुमान तैयार किया।

6.1 . तथापि, अनुमान तैयार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के पक्ष में कई कारकों को पाया और अन्य बातों के साथ-साथ कहा,

कि - (क) अभियुक्त को ऋण देने के लिए आय का स्रोत दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था; (ख) शिकायतकर्ता रसीद, वचन पत्र के रूप में लेनदेन को दर्ज करने में विफल रहा या यहाँ तक कि कच्चे नोट भी; (ग) शिकायतकर्ता द्वारा अपने गवाह-श्री जगदीशभाई के बयान की तुलना में अस्पष्ट और अनिश्चित बयान दिया गया था; (घ) शिकायतकर्ता को ऐसे चेक की तारीखों और अन्य विवरणों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी; (ङ) शिकायतकर्ता के गवाह को शिकायतकर्ता से अधिक तथ्यों की जानकारी थी; (च) शिकायतकर्ता ने कथित रूप से रु। 22,50,000 / - लेकिन इन मामलों में 7 चेक रुपये के थे। 3,00,000 / - प्रत्येक और शेष रुपये के संबंध में शिकायतकर्ता की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं था। 1,50,000 / - ; और (छ) बारिश में पहले के चेकों को धोने का सुझाव भी संदिग्ध था जब शिकायतकर्ता का कार्यालय विंडोर प्लाजा की 8 वीं मंजिल पर था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6.2 उपरोक्त कारकों और परिस्थितियों के संदर्भ में,

विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त प्रत्याख्यान साक्ष्य को संभावनाओं की प्रधानता के अपेक्षित स्तर तक लाने में सफल रहा; और कहा कि शिकायतकर्ता सभी उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा कि चेक रुपये की ऋण राशि के आंशिक भुगतान में जारी किए गए थे। 22,50,000 / - . इसलिए, सभी 7 शिकायत मामलों को समान लेकिन अलग-अलग निर्णय और दिनांक 09.06.2017 के आदेशों द्वारा 3 के तहत देखते हुए खारिज कर दिया गया थाः

प्रत्याख्यान योग्य साक्ष्य को अपेक्षित स्तर तक रिकॉर्ड करें। संभावनाओं की पूर्व प्रतिक्रिया और इस तरह से विचार करना

एन. आई. अधिनियम की धारा 5,6,32 और 118 और 139 शिकायतकर्ता विफल रही शिकायत को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए कि चेक

वसूली योग्य ऋण/देयता के लिए जारी किया गया है।

***

***

***

***

22. इसलिए जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि विवादित चेक दिया गया है

अभियुक्त द्वारा लेन-देन के आंशिक भुगतान के लिए जारी किया गया

रु. 22,50,000 / - इसलिए अभियुक्त बरी होने का हकदार है।

जिन्होंने उन परिस्थितियों को दर्ज किया है जो खंडन करती हैं

एन. आई. अधिनियम की धारा 118,119 के तहत अनुमान (एस. आई. सी.) "

7. उपरोक्त निर्णय और बरी करने के आदेशों के विरुद्ध,

शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों को प्राथमिकता दी, जिन पर विवादित सामान्य निर्णय और दिनांक 08.01.2018 के आदेश द्वारा एक साथ विचार और निर्णय लिया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि एन. आई. अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत यह धारणा तैयार करने की आवश्यकता है कि चेक विचार के लिए जारी किए गए थे और जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता,

तब तक यह धारणा सही होगी कि शिकायतकर्ता ने मौखिक रूप से कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण साबित किया था और

दस्तावेजी साक्ष्य, जिसमें स्टाम्प पेपर पर अभियुक्त द्वारा लिखित स्वीकृति शामिल है; और यह कि केवल इनकार के अलावा, अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रमाण को हटाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था।

शिकायतकर्ता।

3 पुनः, निष्कर्षण 2008 के आपराधिक मामला संख्या 46499 में विचारण न्यायालय के निर्णय से है।

7.1 उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि विचाराधीन लेन-देन खातों और आय-कर विवरणी में प्रतिबिंबित नहीं होता है, तो यह कर निर्धारिती या ऋणदाता को आय-कर कानूनों के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराएगा, लेकिन यदि शिकायतकर्ता राशि का ऋण दिखाने में सफल हो जाता है, तो कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि बारिश के पानी में चेक को धोने के मुद्दे का कोई महत्व नहीं है, जब आरोपी ने स्पष्ट रूप से अपनी देनदारी स्वीकार कर ली थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त की बचाव याचिका कि धन उसके मित्र श्री जगदीशभाई द्वारा हस्त ऋण के रूप में दिया गया था, उक्त श्री जगदीशभाई के कथन द्वारा गलत साबित हुई, जिनसे शिकायतकर्ता की ओर से गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी। इसलिए उच्च न्यायालय ने विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया और अभियुक्त-अपीलार्थी को एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए उसे पहले देखे गए तरीके से सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः

" 24. इस स्तर पर यह भी आवश्यक है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा उस निधि के स्रोत पर जोर दिया जाए जो अपीलार्थी द्वारा उधार दिया गया है। यह अभिलेख की विस्तृत जाँच के साथ-साथ विस्तृत जाँच-इन-चीफ के साथ-साथ क्रॉस से भी सामने आया है।

जाँच, कि शिकायतकर्ता व्यवसाय चलाता है। वह लेखा पुस्तकों का भी रखरखाव करता है और उसका अपना कारखाना है। 'आशीर्वाद उद्यम' के नाम और शैली में और

प्लास्टिक का निर्माण करता है। उक्त कारखाना जंबुसर में स्थित है।

आम तौर पर, कोई भी विवेकपूर्ण व्यवसायी व्यक्ति पैसे उधार देते समय चेक द्वारा लेन-देन करना पसंद करेगा, लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि व्यवसाय में नकद लेनदेन नकद के रूप में बड़ी राशि की अनुमति देता है, जिसे कभी-कभी नकदी में दिखाया जाता है। हाथ पर नकद के रूप में या अन्यथा पुस्तकों पर उपलब्ध राशि के रूप में लेखा बहियां। यह मानते हुए कि चेक लेनदेन

राशि का उधार देना अनुपस्थित है और आय-कर विवरणी भी ऐसी राशि को प्रतिबिंबित नहीं करती है, जो सबसे अच्छा होगा आय-कर कानूनों के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी निर्धारिती या ऋणदाता। तथापि, अन्यथा, यदि वह अपने और अपने मित्र के मौखिक साक्ष्य द्वारा ऐसी राशि का ऋण दिखाने में सफल हो जाता है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 भी निर्भर करता है और सात [2019] 5 एस. सी. आर. के साथ अलग से दिए गए प्रतिवादी संख्या 2 के लेखन से।

उनके द्वारा हस्ताक्षरित चेक, ऐसी स्पष्ट परिस्थितियों में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के अस्तित्व से इनकार करने के लिए अदालत के साथ क्या संभावित कारण हो सकते हैं।

25. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिकायतकर्ता अपनी लेखा पुस्तकों का रखरखाव करता है, इस तथ्य के साथ कि प्रतिवादी संख्या 2 ने केवल इस तथ्य का खंडन किया था कि उसने शिकायतकर्ता के साथ नहीं बल्कि गवाह जगदीशभाई के साथ लेन-देन किया था, वह उस बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है जो उसने किया था।

उस पर चला गया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिवादी संख्या 2 ने विवादित चेक पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार कर लिया है। किसी भी समय, चेक पर विवाद नहीं हुआ है। एक बार जब इस तथ्य को स्वीकार कर लिया जाता है कि चेक पर हस्ताक्षर प्रतिवादी संख्या 2-अभियुक्त का है, तो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 इस धारणा को अनिवार्य करेगी कि -

बेशक, यह धारणा खंडन की प्रकृति में है और इसके बाद संभावित बचाव करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर है। 25.1 जैसा कि घटनाओं के कालक्रम और इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री से ध्यान दिया जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा उठाया गया बचाव बिल्कुल भी संभावित नहीं है। द.

प्रतिवादी संख्या 2-अभियुक्त का कहना है कि पैसा उसके दोस्त जगदीशभाई द्वारा हस्त ऋण के रूप में दिया गया था न कि अपीलार्थी द्वारा, यह भी जगदीशभाई के संस्करण द्वारा पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी सात चेकों के मामले में जब शिकायत दर्ज करने से पहले नोटिस दिए गए थे, तो उन्होंने चार नोटिसों का जवाब नहीं देने का फैसला किया है। या तो धन की कमी के कारण या क्योंकि उसने खाता बंद कर दिया है

कि चेक प्राप्त नहीं किए जा सके। ये सभी परिस्थितियाँ संचयी रूप से इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करती हैं कि अपीलकर्ता कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण को साबित करने में सफल रहा और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वैधानिक धारणा का खंडन करने के लिए कोई संभावित बचाव नहीं किया गया है।

25.2 परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत विचार किए गए प्रारंभिक अनुमान, जब धन के उधार देने और चेक पर हस्ताक्षर की स्वीकृति का प्रमाण, अपीलार्थी के पक्ष में न्यायालय द्वारा उठाए जाने की आवश्यकता होगी।

***

***

*** रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम। गुजरात राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

28. ..... उचित रूप से, जब अपीलार्थी ने कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण को न केवल अपने साक्ष्य के माध्यम से, बल्कि अपने मित्र जगदीशभाई के साक्ष्य और अन्य समकालीन रिकॉर्ड के माध्यम से भी साबित किया था, विशेष रूप से, प्रदर्शनी 24 में दस्तावेज़, जो एक लेखन है जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 स्पष्ट रूप से इंगित करता है और रुपये के अपने दायित्व को स्वीकार करता है। 22.50 एक लाख। इस प्रकार, बोझ ऊपर चला गया था प्रत्यर्थी संख्या 2. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 के तहत न्यायालय द्वारा जो अनुमान लगाने की आवश्यकता थी, वह न्यायालय को यह मानने के लिए बाध्य करेगा कि चेक विचार के लिए जारी किया गया था और जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक ऐसी धारणा आधार बनी रहेगी। नंगे इनकार के अलावा, द्वारा प्रस्तुत किए गए सकारात्मक प्रमाण को हटाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं पाया गया है

अपीलार्थी।

29. इस न्यायालय की राय में, यह पूरा तर्क कि बारिश का पानी चेक को बहा नहीं सकता था, महत्वहीन हो जाता है और विचार करने योग्य तर्क नहीं है, विशेष रूप से, जब प्रतिवादी-अभियुक्त ने बिना किसी अस्पष्ट शब्दों में रुपये की राशि स्वीकार करने के अपने दायित्व को स्वीकार कर लिया था। 22.50 शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये और इसने ऐसे कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के लिए विशेष तिथियों के सात चेक जारी करने की भी घोषणा की। अगर यह एक

नए चेक जारी करने के लिए पक्षों के बीच समझ, पुराने चेक बह जाने के एक स्पष्ट कारण के साथ, ये गैर-मुद्दे हैं। यह न्यायालय इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकता है कि परक्राम्य की धारा 138

कानून निर्माताओं ने परक्राम्य की धारा 118 और 139 पेश करके साक्ष्य के विशेष नियम बनाए हैं। उपकरण अधिनियम।

30. ट्रायल कोर्ट ने एक गंभीर गलती की है

साक्ष्य मूल्य को पहचानने और सकारात्मक साक्ष्य की सराहना न करने के अपने दायित्व का निर्वहन करने के कारण [2019] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मूल शिकायतकर्ता की ओर से मौजूद कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का उचित प्रमाण।

8. उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित निर्णय और आदेश को स्वीकार करते हुए, अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि

विवादित निर्णय के मामले में निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है

अरुलवेलु और अन्र। वी. राज्य का प्रतिनिधित्व लोक अभियोजक और ए. एन. आर. ने किया। : (2009) 10 एस. सी. सी. 206, विशेष रूप से जब उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के सुविचारित निर्णय और आदेशों को उसमें किसी भी विकृति को इंगित किए बिना रद्द कर दिया हो। विद्वान वकील ने एम. एस. नारायण मेनन उर्फ मणि बनाम में निर्णयों के संदर्भ में तर्क दिया है। केरल और अन्र राज्यः (2006) 6 एस. सी. सी. 39 और कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम। शर्मा कालीनः (2009) 2 एस. सी. सी. 519, कि उच्च न्यायालय कानून के इस स्थापित सिद्धांत की सराहना करने में विफल रहा है कि अभियुक्त को एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत आरोपों से बरी होने के लिए केवल संभावित बचाव दिखाने की आवश्यकता है। विद्वान वकील ने मुकदमे द्वारा दिए गए कारणों का उल्लेख किया है

अभियुक्त को बरी करने के लिए अदालत-अपीलार्थी और प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता और गवाह द्वारा विरोधाभासी बयान दिए गए हैं; कि आरोप को साबित करने के लिए कोई स्पष्ट और ठोस सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा किसी भी ऋण को आगे बढ़ाने के लिए धन का स्रोत; मान लीजिए, शिकायतकर्ता के पास रुपये की राशि नहीं थी। 22,50,000 / - और उसकी व्यवस्था उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के माध्यम से की गई थी लेकिन उसने

उस संबंध में अस्पष्ट बयान और ऐसे किसी भी रिश्तेदार या दोस्त से गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई; कि शिकायतकर्ता के गवाह को शिकायतकर्ता की तुलना में लेनदेन के बारे में अधिक जानकारी थी; कि ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता को भुगतान, धन और लेन-देन की अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

इस बारे में स्पष्टीकरण दें कि शिकायतकर्ता रुपये का दावा कैसे कर रहा था। 22,50,000 / - ऋण के रूप में, जब किश्तों (चेक) की कुल राशि रु। 21,00,000 / - केवल। विद्वान वकील यह भी तर्क देगा कि

शिकायतकर्ता ने दिनांकित स्टाम्प पेपर 21.03.2007 पर बहुत अधिक भरोसा किया है, लेकिन फिर, यह स्वीकार किया जाता है कि शिकायतकर्ता ने उक्त स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर नहीं किए थे; और यह दस्तावेज़, न तो नोटरीकृत था और न ही कहीं और केवल पंजीकृत था। अपीलार्थी और उक्त श्री जगदीशभाई के हस्ताक्षर का शिकायतकर्ता के मामले में कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। विद्वान वकील के अनुसार, अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपने वास्तविक बचाव को स्थापित किया है कि उसने अतीत में श्री जगदीशभाई के साथ वित्तीय लेनदेन किया था; कि उसने श्री जगदीशभाई को 7 खाली चेक दिए और इस तरह के लेनदेन के खिलाफ सुरक्षा के रूप में एक स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर किए; और यह कि ऐसे चेक रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम।

गुजरात राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

और शिकायतकर्ता द्वारा स्टाम्प पेपर का दुरुपयोग करने की मांग की गई थी। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि दी गई परिस्थितियों में, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के अभियुक्त-अपीलार्थी को बरी करने वाले निचली अदालत के फैसले और आदेशों को बहाल किया जाना चाहिए और विवादित निर्णय और दिनांकित 08.01.2018 आदेश को बहाल किया जाना चाहिए।

उच्च पक्ष और कम करने योग्य है। 9. इसके विपरीत, शिकायतकर्ता के विद्वान वकील-प्रतिवादी संख्या 2 ने विवादित निर्णय का विधिवत समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि

अभियुक्त-अपीलार्थी ने केवल एक अस्पष्ट और अनिश्चित बचाव प्रस्तुत किया है जिसका कोई आधार या समर्थन नहीं है और रिकॉर्ड पर सामग्री से गलत साबित होता है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि न केवल अनुमान

और अभियुक्त द्वारा दी गई शपथ पत्र-स्टाम्प पेपर पर अपीलार्थी; और दी गई परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने उन्हें एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए सही दोषी ठहराया है।

10. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर चिंता से विचार करने और अभिलेख की जांच करने के बाद, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि

धारा 138 एन. आई. अधिनियम के तहत अपराध के लिए अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि के संबंध में, विवादित निर्णय और दिनांक 1 का आदेश किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करता है, लेकिन तथ्यों पर और इस मामले की परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को संशोधित किया जाना चाहिए।

11. अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार, विवादित निर्णय इसके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है।

अरुलवेलु (उपर्युक्त) के मामले में न्यायालय क्योंकि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले में किसी भी विकृति को इंगित किए बिना उसे रद्द कर दिया है। अरुलवेलु (उपरोक्त) का उक्त मामला आई. पी. सी. की धारा 304-बी और 498-ए के तहत अपराधों से संबंधित है। इसमें, की शक्तियों के दायरे पर अपीलीय न्यायालय ने बरी किए जाने के खिलाफ एक अपील में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" 36. इन सभी निर्णयों की सावधानीपूर्वक जांच से यह निश्चित निष्कर्ष निकलता है कि अपीलीय न्यायालय को विशेष रूप से [2019] 5 एस. सी. आर. में बरी होने के फैसले को दरकिनार करने में बहुत धीमी गति से काम करना चाहिए।

मामला जहाँ दो विचार संभव हैं। निचली अदालत के फैसले को दरकिनार नहीं किया जा सकता क्योंकि अपीलीय अदालत का विचार अधिक संभावित है। अपीलीय अदालत निचली अदालत के फैसले को दरकिनार करने में तब तक उचित नहीं होगी जब तक कि वह रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य को शामिल करने पर एक स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है कि

निचली अदालत का फैसला या तो विकृत है या पूरी तरह से

कानून में अस्थिर "।

11.1 उपरोक्त सिद्धांतों पर ज्यादा बहस नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, यदि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण मामले के संभावित विचारों में से एक है और जब तक कि अपीलीय न्यायालय इस स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि विचारण न्यायालय का निर्णय विकृत है, अर्थात, अभिलेख पर साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है या जो सामान्य या उचित माना जाता है, उसके विपरीत नहीं है, तो आम तौर पर, अपीलीय न्यायालय दोषमुक्त होने के निर्णय को परेशान नहीं करेगा। या कानून में पूरी तरह से अस्थिर है। इस तरह के सामान्य प्रतिबंध अनिवार्य रूप से अपीलीय न्यायालय को यह याद दिलाने के लिए हैं कि एक अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह उचित संदेह से परे दोषी साबित न हो जाए और बरी होने का निर्णय अभियुक्त के पक्ष में ऐसी धारणा को और मजबूत करता है। हालांकि, इस तरह के प्रतिबंधों को विशेष के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है अपीलीय न्यायालय के समक्ष मामला और उसमें जांच की प्रकृति। एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध से संबंधित मामले में समान कठोरता के साथ एक ही नियम लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जहां यह अनुमान लगाया जाता है कि धारक को किसी भी ऋण या दायित्व के पूरी तरह से या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए चेक प्राप्त हो गया है। बेशक, अभियुक्त को इस तरह की धारणा का खंडन करने के लिए प्रासंगिक सामग्री को रिकॉर्ड पर लाने का अधिकार है और यह दिखाने का अधिकार है कि संभावनाओं की प्रधानता उसके बचाव के पक्ष में है, लेकिन यह जांच करते हुए कि क्या अभियुक्त ने संभावित बचाव किया है ताकि अनुमान का खंडन किया जा सके, अपीलीय न्यायालय निश्चित रूप से रिकॉर्ड पर साक्ष्य की जांच करने का हकदार है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या प्रधानता वास्तव में अभियुक्त के पक्ष में है।

12. इस बात के निर्धारण के लिए कि क्या उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेशों को उलटने में उचित था और

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए, दो बुनियादी प्रश्नों को संबोधित किया जाना चाहिएः इस बारे में कि क्या शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 ने धाराओं के अवयवों को स्थापित किया था

118 और एन. आई. अधिनियम की धारा 139, ताकि उसमें परिकल्पित अनुमान के चित्रण को उचित ठहराया जा सके; और यदि ऐसा है, तो क्या अभियुक्त-अपीलार्थी ऐसी धारणा को हटाने और एक संभावित बचाव स्थापित करने में सक्षम था जिसके द्वारा, दायित्व फिर से शिकायतकर्ता पर स्थानांतरित हो जाएगा?

13. हम उपयोगी रूप से इसमें निहित प्रावधानों पर ध्यान दे सकते हैं

धारा 118 और 139, मामले में लागू साक्ष्य के विशेष नियम हैं जो इस प्रकार हैंः

" 118. परक्राम्य उपकरणों के बारे में अनुमान।

तब तक

यदि सिद्ध हो जाता है, तो निम्नलिखित अनुमान होंगे -

सो।

बनाया गयाः

(क) इस बात पर विचार करना कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत बनाई गई थी।

या विचार के लिए तैयार किया गया है, और यह कि ऐसा प्रत्येक उपकरण,

जब इसे स्वीकार किया गया हो, स्वीकार किया गया हो, बातचीत की गई हो या परिवर्तित किया गया हो

ले जाया गया, स्वीकार किया गया, इंडोर किया गया, बातचीत की गई या स्थानांतरित किया गया

विचार करना;

(ख) आज तक-कि एक तारीख वाला प्रत्येक परक्राम्य लिखत

ऐसी तारीख को बनाया या तैयार किया गया था;

(ग) स्वीकृति के समय के बारे में-कि प्रत्येक पूर्व के बिल को स्वीकार किया जाता है।

परिवर्तन को उसकी तिथि के बाद उचित समय के भीतर स्वीकार कर लिया गया था।

और इसकी परिपक्वता से पहले;

(घ) हस्तांतरण के समय के बारे में कि किसी परक्राम्य का प्रत्येक हस्तांतरण

उपकरण को इसकी परिपक्वता से पहले बनाया गया था;

(ई) इंडोर्समेंट के क्रम के बारे में-कि इंडोर्समेंट दिखाई देते हैं

एक परक्राम्य साधन को क्रम में बनाया गया था जिस पर वे प्रकट होते हैं;

(च) डाक टिकटों के बारे में-कि एक खोया हुआ वचन पत्र, विनिमय पत्र या

चेक पर विधिवत मुहर लगी थी;

(छ) वह धारक नियत समय पर धारक है।

कि ए के धारक

परक्राम्य लिखत नियत समय में एक धारक है;

* धारा 138 एन. आई. अधिनियम के मूलधन और प्रभार भाग को भी तैयार करने के लिए निकाला जा सकता है। संदर्भ इस प्रकार हैः

" 138 खाते में धन की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर। जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंकर के साथ रखे गए खाते पर कोई चेक निकाला जाता है।

उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी राशि के भुगतान के लिए

किसी भी ऋण या अन्य देयता का पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन बैंक द्वारा वापस कर दिया जाता है।

भुगतान नहीं किया गया, या तो उस खाते में जमा की गई राशि के कारण चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त या यह कि यह भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है

उस खाते में उस बैंक के साथ किए गए समझौते से ऐसा व्यक्ति माना जाएगा कि

अपराध किया और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

, कारावास से दंडित किया जाएगा [एक अवधि जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है], या जुर्माने के साथ जो चेक की राशि के दोगुने तक बढ़ सकता है, या दोनों के साथः

***

***

बशर्ते कि, जहां लिखत अपने वैध स्वामी से, या उसकी वैध अभिरक्षा में किसी व्यक्ति से, किसी अपराध या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त की गई है, या धोखाधड़ी के अपराध के माध्यम से या गैरकानूनी रूप से विचार करने के लिए उसके निर्माता या स्वीकारकर्ता से प्राप्त की गई है, यह साबित करने का भार उस पर है कि धारक नियत समय पर धारक है।

" 139. धारक के पक्ष में अनुमान यह होगा

यह माना जाता है, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, कि धारक एक चेक है जिसे धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ है, पूरे या आंशिक रूप से, यदि कोई ऋण या

अन्य दायित्व "।

14. अब तक एन. आई. अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत अनुमान लगाने के लिए बुनियादी अवयवों के अस्तित्व का सवाल है,

जाहिरा तौर पर यह है कि अभियुक्त-अपीलार्थी उन चेकों पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं कर सका जो अभियुक्त द्वारा रखे गए बैंक खाते में शिकायतकर्ता के पक्ष में रुपये की राशि के लिए निकाले गए थे। 3 एक-एक लाख। उक्त चेक उनकी वैधता की अवधि के भीतर संबंधित बैंक को प्रस्तुत किए गए थे और शेष राशि अपर्याप्त होने या खाता बंद होने के कारण बिना भुगतान किए वापस कर दिए गए थे। धारा 138 के साथ-साथ धारा 118 और 139 के सभी बुनियादी तत्व अभिलेख के सामने स्पष्ट हैं। निचली अदालत ने भी इन तथ्यों पर सचेत रूप से ध्यान दिया था और अपेक्षित अनुमान लगाया था।

इसलिए, यह मान लेना आवश्यक है कि विचाराधीन चेक विचार के लिए तैयार किए गए थे और चेक धारक यानी शिकायतकर्ता को मौजूदा ऋण के निर्वहन में वही प्राप्त हुआ था। द. इसलिए, अभियुक्त-अपीलार्थी पर एक संभावित बचाव स्थापित करने की जिम्मेदारी आ जाती है ताकि ऐसी धारणा का खंडन किया जा सके।

15. रंगप्पा बनाम। श्री मोहनः (2010) 11 एस. सी. सी. 441, इस न्यायालय ने अनुमानों से संबंधित सिद्धांतों को दोहराया और संक्षेप में प्रस्तुत किया है।

एन. आई. अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत और निम्नलिखित में इसका खंडनः

" 26. इन उद्धरणों के आलोक में, हम सहमत हैं

प्रत्यर्थी दावेदार कि अधिनियम की धारा 139 द्वारा अनिवार्य धारणा में वास्तव में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व का अस्तित्व शामिल है। उस हद तक, कृष्ण जनार्दन भट में विवादित टिप्पणियां सही नहीं हो सकती हैं। हालाँकि, यह किसी भी तरह से रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम पर संदेह नहीं करता है।

उस मामले में निर्णय की शुद्धता क्योंकि यह विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है। जैसा कि उल्लेख किया गया है

उद्धरण, यह निश्चित रूप से एक खंडन की प्रकृति में है

अनुमान और यह अभियुक्त के लिए एक बचाव करने के लिए खुला है जिसमें कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के अस्तित्व को चुनौती दी जा सकती है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक प्रारंभिक धारणा है जो शिकायतकर्ता के पक्ष में है।

27. अधिनियम की धारा 139 एक विपरीत दायित्व खंड का एक उदाहरण है जिसे विधायी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में शामिल किया गया है। परक्राम्य की विश्वसनीयता में सुधार का उद्देश्य

उपकरण। जबकि अधिनियम की धारा 138 एक मजबूत निर्दिष्ट करती है

चेक के अपमान के संबंध में आपराधिक उपचार,

धारा 139 के तहत खंडन योग्य धारणा एक उपकरण है

मुकदमेबाजी के दौरान अनुचित देरी को रोकें। हालाँकि, यह याद रखना चाहिए कि धारा 138 द्वारा दंडनीय अपराध को विनियामक अपराध के रूप में बेहतर तरीके से वर्णित किया जा सकता है।

चूँकि चेक का उछाल काफी हद तक एक नागरिक गलती की प्रकृति में होता है जिसका प्रभाव आमतौर पर निजी तक ही सीमित होता है।

वाणिज्यिक लेन-देन में शामिल पक्ष। ऐसे में

परिदृश्य, आनुपातिकता की परीक्षा का मार्गदर्शन करना चाहिए विपरीत दायित्व खंडों का निर्माण और व्याख्या और प्रतिवादी-अभियुक्त से आरोप मुक्त करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

सबूत का अनुचित उच्च मानक।

28. बाध्यकारी औचित्य के अभाव में, जिम्मेदारी को उलट दें

खंड आमतौर पर एक साक्ष्य का बोझ डालते हैं न कि

प्रेरक बोझ। इसे ध्यान में रखते हुए, यह एक तय स्थिति है कि जब किसी अभियुक्त को धारा 139 के तहत धारणा का खंडन करना पड़ता है, तो ऐसा करने के लिए प्रमाण का मानक "संभावनाओं की प्रधानता" है। इसलिए, यदि अभियुक्त एक संभावित बचाव करने में सक्षम है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा करता है, अभियोजन विफल हो सकता है। जैसा कि उद्धरणों में स्पष्ट किया गया है, अभियुक्त

इस तरह के बचाव को उठाने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भरोसा कर सकते हैं और यह कल्पना की जा सकती है कि कुछ मामलों में अभियुक्त को अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। उसका अपना।

16. संभावनाओं की प्रधानता से संबंधित पहलुओं पर, सेड को ऐसे तथ्यों और ऐसी परिस्थितियों को रिकॉर्ड पर लाना होगा जो [2019] 5 एस. सी. आर.

न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है कि या तो विचार मौजूद नहीं था या इसका अस्तित्व न होने की इतनी संभावना थी कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति, मामले की परिस्थितियों में, इस याचिका पर कार्रवाई करेगा कि विचार मौजूद नहीं था। इस न्यायालय ने समय-समय पर इस बात पर जोर दिया है कि यद्यपि पर्याप्त नकारात्मक साक्ष्य नहीं हो सकते हैं जो अभियुक्त द्वारा अपने बोझ का निर्वहन करने के लिए रिकॉर्ड पर लाए जा सकते हैं, फिर भी केवल इनकार एन. आई. अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत परिकल्पित खंडन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। इस अदालत ने कुमार एक्सपोर्ट्स (उपरोक्त) के मामले में सिद्धांतों को इस प्रकार कहाः

" 20. अधिनियम की धारा 138 के तहत मुकदमे में आरोपी के पास दो विकल्प हैं। वह या तो उस प्रतिफल और ऋण को दिखा सकता है।

इसका अस्तित्व नहीं था या यह कि मामले की विशेष परिस्थितियों में प्रतिफल और ऋण का अस्तित्व न होने की इतनी संभावना है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह मान लेना चाहिए कि कोई प्रतिफल और ऋण मौजूद नहीं था। वैधानिक का खंडन करने के लिए

अनुमान एक अभियुक्त से अपने बचाव को उचित संदेह से परे साबित करने की उम्मीद नहीं की जाती है जैसा कि एक आपराधिक मुकदमे में शिकायतकर्ता से उम्मीद की जाती है। अभियुक्त यह साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है कि विचाराधीन नोट विचार द्वारा समर्थित नहीं था और यह कि कोई ऋण या देयता नहीं थी

उसके द्वारा निर्वहन। हालाँकि, अदालत को हर मामले में इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त को प्रत्यक्ष साक्ष्य का नेतृत्व करके प्रतिफल और ऋण के अस्तित्व को गलत साबित करना चाहिए क्योंकि नकारात्मक साक्ष्य का अस्तित्व न तो संभव है और न ही विचार किया गया है। साथ ही, यह स्पष्ट है कि ऋण के प्रतिफल और अस्तित्व के पारित होने का स्पष्ट इनकार,

जाहिरा तौर पर यह अभियुक्त के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। सबूत का भार शिकायतकर्ता पर स्थानांतरित करने के लिए कुछ ऐसा जो संभवतः रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए। अनुमानों को गलत साबित करने के लिए, अभियुक्त को ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों को रिकॉर्ड पर लाना चाहिए, जिन पर विचार करने पर, अदालत या तो यह मान सकती है कि प्रतिफल और ऋण मौजूद नहीं था या उनका अस्तित्व इतना संभव था कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति मामले की परिस्थितियों में इस दलील पर कार्रवाई करेगा कि वे मौजूद नहीं थे। यह साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के अलावा कि विचाराधीन नोट विचार द्वारा समर्थित नहीं था या उसने कोई ऋण या दायित्व नहीं लिया था, अभियुक्त परिस्थितिजन्य रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम पर भी भरोसा कर सकता है।

गुजरात राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

साक्ष्य और यदि परिस्थितियों पर इस प्रकार भरोसा किया जाता है

बाध्यकारी, बोझ उसी तरह शिकायतकर्ता पर फिर से स्थानांतरित हो सकता है। अभियुक्त तथ्य के अनुमानों पर भी भरोसा कर सकता है, उदाहरण के लिए, धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले अनुमानों का खंडन करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में उल्लिखित।

118 और 139।

21. अभियुक्त के पास यह साबित करने का भी विकल्प होता है कि ऋण और ऋण या देयता का अस्तित्व नहीं है या तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है।

साक्ष्य या कुछ स्पष्ट और असाधारण मामलों में,

शिकायतकर्ता द्वारा निर्धारित मामला, अर्थात् शिकायत में किए गए अभिकथन, वैधानिक सूचना में निर्धारित मामला और मुकदमे के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य। एक बार ऐसा न्यायालय द्वारा खंडन साक्ष्य प्रस्तुत और स्वीकार किया जाता है,

मामले की सभी परिस्थितियों और संभावनाओं की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए, साक्ष्य का बोझ शिकायतकर्ता पर वापस चला जाता है और इसलिए, अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत धारणाएं फिर से कम नहीं होंगी।

शिकायतकर्ता का बचाव।

17. वर्तमान मामले में, एन. आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत कथित रूप से अनुमान लगाने के बाद भी, निचली अदालत ने आरोपी को ऋण देने के लिए धन के स्रोत के संबंध में शिकायतकर्ता की ओर से सबूत की कमी पर सवाल उठाया।

संबंधित गवाहों से पूछताछ, जिन्होंने कथित तौर पर उसे पैसे दिए थे

इसे अभियुक्त तक पहुँचाने के लिए। विचारण न्यायालय का यह दृष्टिकोण विधि में अनुमान के सिद्धांतों से भिन्न था। इस तरह के अनुमान के बाद, जिम्मेदारी आरोपी पर स्थानांतरित हो गई और जब तक कि आरोपी ने ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों को रिकॉर्ड पर लाकर जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया था, जो उसके पक्ष में झुकने की संभावनाओं की प्रधानता को दर्शाते हैं, शिकायतकर्ता के मामले पर कोई संदेह नहीं उठाया जा सकता था क्योंकि आरोपी अपीलार्थी को ऋण देने के लिए धन के स्रोत के बारे में सबूत नहीं थे। विचार के लिए प्रासंगिक पहलू यह था कि क्या अभियुक्त-अपीलार्थी ने ऐसे तथ्यों/सामग्री/अभिलेख पर लाए हैं।

ऐसी परिस्थितियाँ जो उचित रूप से संभावित बचाव की हो सकती हैं। 18. अपना बोझ उठाने के लिए, अभियुक्त ने बचाव पक्ष को आगे रखा कि वास्तव में, उसने उक्त व्यक्ति के साथ मौद्रिक लेनदेन किया था।

श्री जगदीशभाई और शिकायतकर्ता के साथ नहीं। अभियुक्त-अपीलार्थी की ऐसी याचिका को ध्यान में रखते हुए, विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या [2019] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियुक्त-अपीलार्थी ने श्री जगदीशभाई के साथ किसी लेन-देन के अस्तित्व की उचित संभावना दिखाई है? इस संबंध में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्रूस में कुछ सुझाव देने के अलावा

जाँच में, अभियुक्त-अपीलार्थी ने मुख्य रूप से यह संतुष्ट करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि श्री जगदीशभाई के साथ उसका कुछ मौद्रिक लेन-देन हुआ था। बेशक, अपीलार्थी के आरोपों में से एक यह है कि उक्त स्टाम्प पेपर श्री जगदीशभाई को दिया गया था और एक अन्य कारक इस बात पर निर्भर करता है कि श्री जगदीशभाई ने स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर किए थे न कि शिकायतकर्ता पर।

18.1 हमने श्री जगदीशभाई के बयान की जांच की है और स्टाम्प पेपर पर उक्त लेखन की भी जांच की है और इसमें कोई सार नहीं मिला है।

अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से दिए गए सुझाव।

18.2 उक्त गवाह श्री जगदीशभाई ने अपीलार्थी के साथ अपने परिचय और दोस्ती की ओर इशारा करते हुए कहा कि

प्रत्यर्थी ने अपनी जाँच में, मुख्य रूप से, अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार दावा कियाः

" अभियुक्त जब हमारी दुकान पर आता है जहाँ शिकायतकर्ता आता है

इस मामले में शशिमोहन यह भी उपस्थित हों कि दोनों में

शिकायतकर्ता और आरोपी हमारे दोस्त होने के कारण बनाए गए थे

एक-दूसरे से परिचित होना। अभियुक्त की आवश्यकता थी

उनके व्यवसाय में पैसे, मेरी उपस्थिति में, की मांग की थी

Rs.22,50,000/- (बाईस लाख पचास हजार रुपये) अस्थायी आधार पर। और उसके बाद, शिकायतकर्ता से उसके

परिवार के सदस्यों ने टुकड़ों में खाया था

मेरी उपस्थिति में अभियुक्त। इसके बाद, शिकायतकर्ता द्वारा पैसे की मांग करने पर, आरोपी ने हमारी उपस्थिति में शिकायतकर्ता को सात (7) चेक दिए थे, लेकिन ऐसे चेक दिए गए थे।

बारिश के पानी में बह गया और मुझे सूचित करने पर

शिकायतकर्ता को मैंने आरोपी को सूचित किया था। इसके बाद, रोहितभाई ने अन्य सात (7) चेक दिए थे।

मेरी उपस्थिति में शिकायतकर्ता और विलेख को निष्पादित किया गया था रु. 100 / - वहाँ डाक टिकट पर मेरे हस्ताक्षर हैं। "

इस गवाह से विभिन्न पहलुओं पर जिरह की गई थी

18.3

स्टाम्प पेपर पर लिखित विवरण और लेन-देन की तारीख और समय के संबंध में। प्रतिपरीक्षा में रखे गए बचाव के संबंध में, गवाह ने निम्नानुसार कहाः

" मुझे नेशनल प्लाजा में दुकान मिली है लेकिन बारिश में कोई जलभराव नहीं हुआ है। यह सच नहीं है कि कोई वित्तीय रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम नहीं था।

गुजरात राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

आज मेरे और अभियुक्त के बीच सौदा। यह सच नहीं है कि मैंने आरोपी रोहितभाई को दस लाख रुपये दिए थे।

लाख और ब्याज के मामले में बड़ी राशि को लेकर झगड़ा हुआ। यह सच नहीं है कि आरोपी के साथ झगड़े के कारण, मेरे पास पड़े आरोपी के चेक में जिद्दी लेखन करके शशिमोहन गोयंका के माध्यम से झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है। यह सच नहीं है कि दोनों के बीच कोई वित्तीय सौदा नहीं हुआ है।

शिकायतकर्ता और अभियुक्त। इसलिए मैं भी शिकायतकर्ता साक्ष्य के समय आरोपी को किस स्थान पर, किस तिथि पर, किस समय, ली गई राशि स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया हूं। (एस. आई. सी.) यह सच नहीं है कि विधिवत हस्ताक्षरित खाली स्टाम्प पेपर पड़ा हुआ था जिसमें जिद्दी लेखन किया गया है।

इसलिए इसे उप-पंजीयक के माध्यम से पंजीकृत नहीं किया गया है। यह सच नहीं है कि मेरे और आरोपी के बीच सौदे किए गए हैं इसलिए मेरे हस्ताक्षर हैं और आरोपी के हस्ताक्षर हैं और शिकायतकर्ता ने नहीं किए हैं। हस्ताक्षर किए। यह सच नहीं है कि दोनों के बीच किसी भी प्रकार के सौदे

अभियुक्त और शिकायतकर्ता को मेरे मामले में नहीं किया गया है

इसलिए मेरे बयान में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

दिया गया। यह सच नहीं है कि मेरी उपस्थिति में आरोपी

शिकायत में उल्लिखित कोई भी चेक नहीं दिया गया है। यह सच नहीं है कि मैं हड़पने के लिए शिकायतकर्ता के साथ मिलीभगत कर रहा हूं

झूठी राशि की झूठी शिकायत शशिमोहन गोयंका के माध्यम से दर्ज की गई है। यह सच नहीं है कि शशिमोहन गोयंका की शिकायत के समर्थन में झूठ बोल रहे हैं

बयान "।

18.4 श्री जगदीशभाई का बयान अभियुक्त-अपीलार्थी के पक्ष में नहीं है। यह कहना मुश्किल है कि श्री जगदीशभाई को कथित व्यवहार के बारे में सुझाव देने से, अभियुक्त-अपीलकर्ता तार लाने के अपने बोझ को ऐसी सामग्री लाने में सक्षम हो गया है जो संभावनाओं की प्रधानता को झुका सकती है।

अनुग्रह करें।

18.5 द्वारा निष्पादित स्टाम्प पेपर पर पावती

21.03.2007 पर अपीलार्थी को अलग-अलग प्रदर्शन के साथ चिह्नित किया गया था इन 7 मामलों में संख्याएँ। 2008 के शिकायत मामला संख्या 46499 में, इसे पूर्व के रूप में चिह्नित किया गया है। 54 और नीचे लिखा हैः

" आज निष्पादक आई रोहित पटेल रणछोड़े मसाला एक

साथी। आर्थिक कठिनाइयों के कारण,

मैंने रुपये ले लिए हैं। 22,500,000 / - (बाईस हजार रुपया

पचास हजार केवल) मेरे समूह से जिनका भुगतान किया जाना है

शशिमोहन गोयंका को।

इसके संदर्भ में आज मैंने सात (7) चेक दिए हैं।

निगम बैंक, अलकापुरी शाखा की संख्या 763346

762252 रुपये की राशि। 22,50,000 / - (बाईस रुपया

केवल पचास हजार) तिथियाँः (1) 01/4/08 , (2) 01/05/08 (3)

01/07/08 , (4) 01/08/08 (5) 01/10/08 (6) 01/11/08 (7) 01 / 12 /

08 जिसका लेखा 40007 है।

सबसे पहले ये चेक दिए गए थे लेकिन बारिश के पानी के कारण उक्त चेक को लॉग आउट करना (7) चेक बह गए हैं

उन्हें फिर से दिया गया है जो मुझे स्वीकार्य है।

93

18.6 इस मामले का तथ्य यह है कि अपीलार्थी ऐसा नहीं कर सका

उक्त लेखन पर उनके हस्ताक्षर करने से इनकार करते हुए उन्होंने यह सुझाव देने का प्रयास किया कि श्री जगदीशभाई के साथ खाली स्टाम्प पेपर पर उनके हस्ताक्षर उपलब्ध थे। यह सुझाव बहुत दूर है और स्वीकार करने के लिए बहुत अनिश्चित है। नहीं।

अपीलार्थी द्वारा एक खाली स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए ठोस कारण उपलब्ध है। यह भी निर्विवाद है कि चेक संख्या, बैंक का नाम और खाता संख्या जैसे सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ उसमें उल्लिखित चेक एक ही चेक के हैं जो इन शिकायत मामलों की विषय वस्तु हैं। उक्त दस्तावेज़ पर तारीख 21.03.2007 है और चेक पोस्ट-डेट किए गए थे, जो 01.04.2008 से शुरू होते हैं और यहाँ समाप्त होते हैं

01.12.2008 . इस लेखन को विचार से हटाने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता है।

18.7 अपीलार्थी की ओर से रेखांकित किए गए कारकों में से एक है -

कि उक्त लेखन पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं, बल्कि उस पर उक्त श्री जगदीशभाई के हस्ताक्षर हैं। यदि उक्त लेखन पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं तो हमें कुछ भी असामान्य या आपत्तिजनक नहीं लगता है। उक्त लेखन पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाले किसी भी द्विदलीय समझौते की प्रकृति में नहीं है।

यह रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम था। गुजरात राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

ऋण के अस्तित्व के बारे में अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा स्वीकृति की प्रकृति में एक लेखन; शिकायतकर्ता को ऋण चुकाने के अपने दायित्व के बारे में; उसके सात दिनांकित चेक जारी करने के बारे में; ऐसे चेकों के विवरण के बारे में; और इस तथ्य के बारे में कि पहले दिए गए चेक वर्षा जलभराव में बह गए थे। जाहिर है, इस लेखन को, इसके स्पष्ट रूप से मूल्यवान होने के लिए, अभियुक्त के हस्ताक्षर होने चाहिए थे, जो वह करता है। इस तरह के दस्तावेज़ का गवाह होना असामान्य नहीं है ताकि इसकी प्रामाणिकता को बढ़ाया जा सके और पक्षों की स्थिति और संबंधों में, श्री जगदीशभाई सबसे अच्छे होते।

उद्देश्य के लिए गवाह। इसलिए, इस दस्तावेज़ पर उनके हस्ताक्षर इसके गवाह के रूप में पाए जाते हैं। इस दस्तावेज़ को विचार से बाहर नहीं किया जा सकता है और इस लेखन को प्रस्तुत करते हुए, अभियुक्त-अपीलार्थी के खिलाफ संभावनाएँ बहुत अधिक होती हैं।

19. इसके अलावा, हमने निचली अदालत और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की विस्तार से जांच की है और इसमें कोई संकोच नहीं है। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि वर्तमान एक स्पष्ट रूप से एक ऐसा मामला था जहाँ निर्णय लिया गया था

विचारण न्यायालय को विकृति और दृष्टिकोण की मौलिक त्रुटि का सामना करना पड़ा; और उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के फैसले को उलटने में उचित ठहराया गया। विचारण न्यायालय की टिप्पणियों में कहा गया है कि ऋण को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्यर्थी के पास धन के स्रोत को दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था, या यह कि प्रत्यर्थी ने लेनदेन को कच्चे नोटों की प्राप्ति के रूप में भी दर्ज नहीं किया था, या यह कि शिकायतकर्ता और उसके गवाह के बयान में विसंगतियां, या यह कि शिकायत का गवाह तथ्यों आदि के बारे में अधिक जानता था, प्रासंगिक होता यदि मामले की जांच शिकायत पर उसके मामले को उचित संदेह से परे साबित करने की जिम्मेदारी के संदर्भ में की जानी थी। ये विचार और टिप्पणियां एन. आई. अधिनियम की धारा 118 और 139 के आधार पर शिकायतकर्ता के पक्ष में मौजूद धारणा के अनुरूप नहीं हैं। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह की धारणा का परिणाम यह है कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का अस्तित्व होना चाहिए

शिकायतकर्ता के पक्ष में माना गया। जब ऐसा अनुमान लगाया जाता है, तो प्राप्तियों या खातों के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य की कमी या धन के स्रोत के संबंध में साक्ष्य की कमी से संबंधित कारक यह जांच करते समय प्रासंगिक विचार के लिए नहीं थे कि क्या आरोपी अनुमान का खंडन करने में सक्षम रहा है या नहीं। शिकायतकर्ता और गवाह के बयान में किसी भी भिन्नता के संबंध में अन्य टिप्पणियां; या तारीखों और चेक के अन्य विवरणों के बारे में जानकारी की कमी; या [2019] 5 एस. सी. आर. के कार्यालय के माध्यम से बारिश में पहले के चेक को धोने के संबंध में अन्य टिप्पणियां।

शिकायतकर्ता का 8 वीं मंजिल पर होना भी अपीलार्थी के संभावित बचाव पर विचार करने के लिए अप्रासंगिक कारकों में से एक था। इसी तरह, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ऋण राशि रु। 22,50,000 / - और सात चेक रुपये के हैं। 3,00,000 / - प्रत्येक से रुपये का घाटा होता है। 1,50,000 / - , मामले में शामिल वास्तविक प्रश्नों के निर्धारण के उद्देश्य के लिए विचार करने योग्य भी नहीं है। हो सकता है कि यदि चेक की कुल राशि ऋण की कथित राशि से अधिक हो, तो एक छोटा सा संदेह पैदा हुआ हो, लेकिन वर्तमान मामले में, 7 चेक की कुल राशि ऋण की राशि से कम है। विशेष रूप से,

ऋण की राशि (रु। 22,50,000 / -) अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त पावती दिनांक 21.03.2017 में स्पष्ट रूप से कहा गया था।

20. विचारण न्यायालय के आदेश पर विचार करने पर, यह देखा जाता है कि विचारण न्यायालय ने केवल आधार पर बरी करने का आदेश पारित किया

'संदेह का निर्माण'। हमारा विचार है कि ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय एक गलत धारणा पर आगे बढ़ा है कि केवल इनकार या केवल संदेह पैदा करके, अपीलार्थी ने एन. आई. अधिनियम की धारा 139 द्वारा परिकल्पित धारणा का सफलतापूर्वक खंडन किया था। एन. आई. अधिनियम की योजना में केवल संदेह पैदा करना पर्याप्त नहीं है।

21. पूर्वगामी अनुच्छेदों में चर्चा का परिणाम यह है कि

जिन प्रमुख विचारों पर विचारण न्यायालय ने आगे बढ़ने का फैसला किया, वे स्पष्ट रूप से अपने दृष्टिकोण की मौलिक त्रुटि को दर्शाते हैं, जहां, अनुमान लगाने के बाद भी, यह इस तरह आगे बढ़ा था जैसे कि शिकायतकर्ता को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना था। विचारण न्यायालय की ओर से ऐसा मौलिक दोष होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने अवैध रूप से कार्य किया है या बरी करने के निर्णय को उलटने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के विचारों पर ईमानदारी से और सावधानीपूर्वक विचार किया है और समग्र रूप से रिकॉर्ड पर साक्ष्य की जांच करने के बाद पाया है कि निचली अदालत के निष्कर्ष विकृति से दूषित हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अपरिहार्य था; बल्कि मामले के न्यायसंगत और उचित निर्णय के लिए किया जाना था।

22. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को धारा के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने के निष्कर्ष।

138 एन. आई. अधिनियम की पुष्टि होनी चाहिए और होनी चाहिए।

23. उपरोक्त अपराध के लिए सजा के सवाल पर आते हुए, जैसा कि देखा गया है, उच्च न्यायालय ने सरल दंड दिया है। एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास के साथ-साथ चेक की राशि के दोगुने की सीमा तक जुर्माना (यानी रु।

6 लाख) डिफ़ॉल्ट रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम के साथ। गुजरात राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त कारावास की शर्त; और, जुर्माने के रूप में देय राशि में से, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 को रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। 5.5 प्रत्येक मामले में लाखों। इस मामले की परिस्थितियों की समग्रता में और अपराध की प्रकृति को देखते हुए जो प्रकृति में विनियामक है, जबकि हम पाते हैं कि मौद्रिक शर्तों के संबंध में सजा में कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन फिर, कारावास की सजा को संशोधित किया जाना चाहिए।

23.1 इस मामले की एकल और विशिष्ट परिस्थितियों में, जहां अपीलार्थी द्वारा पक्ष में जारी किए गए 7 चेकों से संबंधित मामले - रुपये की राशि के लिए प्रतिवादी संख्या 2। 3 एक-एक लाख पर विचार किया जा रहा है। और अपीलार्थी को प्रत्येक मामले में चेक की दोगुनी राशि से दंडित किया जा रहा है, यानी कुल रु। 42,00,000 / - , हमारे विचार में, अपीलार्थी को खुद को सुधारने का एक और मौका दिया जाना चाहिए।

जुर्माने का भुगतान करना, निश्चित रूप से, इस शर्त के साथ कि जुर्माने की राशि का भुगतान करने में चूक की स्थिति में, वह एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरेगा। 24. इसलिए, इस अपील की आंशिक रूप से निम्नलिखित शर्तों में अनुमति दी गई है: आर/आपराधिक अपील में सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 08.01.2018

नं. आर/आपराधिक अपील संख्या से जुड़ा 1187/2017। 1191/2017 अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के संबंध में 7 करोड़ रुपये की राशि में 7 चेकों के अनादर के लिए बनाए रखा गया है। 3 प्रत्येक को लाख, जैसा कि शिकायतकर्ता के पक्ष में उसके द्वारा खींचे गए-प्रतिवादी संख्या 2; हालाँकि, सजा को इस तरह से संशोधित किया गया है कि इन 7 मामलों में से प्रत्येक में, अभियुक्त-अपीलार्थी प्रत्येक चेक की दोगुनी राशि (यानी रु। 6 प्रत्येक मामले में 2 लाख रुपये) आज से 2 महीने के भीतर इस शर्त के साथ कि जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में, अभियुक्त-अपीलार्थी को एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा। जुर्माने की राशि की वसूली पर, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। 5.5 प्रत्येक मामले में लाखों। जुर्माने के भुगतान में चूक के लिए कारावास की स्थिति में, सभी 7 मामलों में सजाएं एक साथ चलेंगी।

25. निचली अदालत इस फैसले को तुरंत लागू करने के लिए कदम उठाएगी।

अपील

की आंशिक रूप से अनुमति है।

दिव्या पांडे